

"खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र"
(राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

सेवा में

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
हमीरगढ़

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।
महोदय

अपरोक्ष विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 34 में प्राणी का नाम श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार के वजाय श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार है जो संशोधित किया

अतः उक्त दुरुस्ती विज्ञे जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक 10/12/2024

प्रार्थी श

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम खैराबाद के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 34 में प्राणी का नाम श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार दर्ज है। जबकि मुताबिक सलंगन अनुसार खातेदार का सही नाम श. प्र. नर. पांडे है जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

भू.अ.नि. श
19/12/2024
त.प. हिसार

श
19/12/2024
पटवारी दिनेश कुमार शर्मा
पटवारी
पटवार मण्डल
तहसील-हमीरगढ़ (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

प्राणी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है प्राणी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी श व भू.अ.नि. श एवं प्राणी द्वारा सलंगन दरस्तावेज के आधार पर ग्राम खैराबाद की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 की खाता संख्या 34 में प्राणी का नाम श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार के वजाय श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार किये जाने हेतु अभिशंभा की जाती है।

श
13/12/24

श
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
हमीरगढ़

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हमीरगढ़ ग्राम खैराबाद जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 34 में दर्ज प्राणी का नाम श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार के स्थान पर श. प्र. नर. पांडे जिला हिसार संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

श
13/12/24

श
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा